



फोन : (0755) 2490322

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक...../म.प्र.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल
प्रति,

दिनांक: 12/2013

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

Munish
File

विषय:-प्रदेश में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों की मान्यता के संबंध में।

सन्दर्भ:-मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 1992/414/सीसी/12/38/
दिनांक 22.12.2012

उपरोक्त विषय के संदर्भ में लेख है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 के अन्तर्गत विधान सभा द्वारा पारित विभिन्न संशोधनों के माध्यम से प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये गये है,जा रहे हैं।

राज्य में स्थापित सभी निजी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम (UGC Act) 1956 की धारा 22 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य (उपाधियाँ) संबंधित मानक संस्थाओं की अनुमति (जहाँ आवश्यक हो) से अपने मुख्य कैम्पस से नियमित रूप से संचालित पाठ्यक्रमों की उपाधियाँ प्रदान करने हेतु अधिकृत है। ये उपाधियाँ शासकीय संस्थाओं सहित किसी भी संस्था में प्रवेश एवं रोजगार प्राप्त करने हेतु मान्य है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र के माध्यम से डिग्री प्रदान किए जाने की अधिकारिता हेतु सूचित भी किया है।एन.जी.सी. के पत्र के सुसंगत अंश विमानानुसार है :

"..... State Private University is empowered to award degrees as specified by the UGC Under section 22 of the UGC Act 1956 through its main campus in regular mode with approval of statutory bodies/councils, wherever required"

अतः मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित निजी विश्वविद्यालय से प्राप्त उपाधियाँ शासकीय या अन्य संस्थाओं में प्रवेश एवं रोजगार हेतु मान्य है।

(विद्यरमैत्र द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. पी.के. खरे)
सचिव

पृष्ठकलम क्रमांक 189/म.प्र.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल

दिनांक: 15/12/2013

✓ प्रतिनिधि:- 1. कुलपति/कुलसचिव, सनरा निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।

(विद्यरमैत्र द्वारा अनुमोदित)

आई.मै.स.ए. यू.जी.सी.सी., जलम-मेदुआ।

(डॉ. पी.के. खरे)
सचिव